कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

नीलामी

आज दिनांक 22.8.2022 को जनपद न्यायालय, मीरजापुर परिसर स्थित दुकान संख्या–8, साईकिल स्टैण्ड की नीलामी होना सुनिश्चित था। नीलामी समिति के अध्यक्ष, श्री जितेन्द्र मिश्र, विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट) दिनांक 31.8.2022 तक उपार्जित अवकाश पर चले जाने के कारण नीलामी की कार्यवाही दिनांक 02.9.2022 नियत की जाती है।

नीलामी कार्यवाही हेतु केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि सायकिल स्टैण्ड की नीलामी की सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

इच्छुक व्यक्ति धरोहर धनराशि मु. 10,000/–रुपये नकद दिनांक 01.9.2022 तक नजारत अनुभाग में जमा कर सकते है। खुली बोली की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 02.9.2022 को सायंकाल 4.00 बजे जनपद न्यायालय, मीरजापुर स्थित मीटिंग हाल में होगी। नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी हेतु केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मीरजापुर से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

नीलामी निम्न शर्तो के अधीन होगी:–

1– इस नीलामी में केवल वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेगा जो पूर्व में किसी प्रकार से डिफाल्टर न रहा हो।

2– Security Money सायिकल स्टैण्ड की 10,000/–रुपये होगी।

3– आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा की जायेगी शेष 75 प्रतिशत 7 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आवंटन बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है। धनराशि जमा करने की अवधि किसी भी दशा में बढ़ायी नही जायेगी।

4– आवंटी को सायकिल स्टैण्ड किसी अन्य को किराये पर उठाने का अधिकार नही होगा।

5– आवंटी को आवंटित सायकिल स्टैण्ड में स्थायी प्रकृति के निर्माण का कार्य/अतिक्रमण का अधिकार नही होगा। ऐसा करने पर नीलामी निरस्त किया जा सकता है।

6– आवंटीगण द्वारा नीलामी की शर्तो के उल्लंघन पर बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी निरस्त कर जमानत की धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जयेगी।

8– आवंटी आवंटित सायकिल स्टैण्ड में जनपद न्यायालय परिसर की विद्युत का उपभोग नही करेंगें। इसके लिये उन्हे अलग से विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।

9– खुली बोली में सर्वाधिक बोली लगाने वाले को सायकिल स्टैण्ड आवंटित की जावेगी।

10– वित्तीय वर्ष 2022–23 की अधिकतम बोली इस वर्ष के लिये रिजर्व बिड होगी। इससे कम की बोली होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात स्टैण्ड आवंटित किया जा सकेगा।

25-8-22

(चन्द्र शेखर मिश्र)
सदस्य,
नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या–5, मीरजापुर।